

**केन्द्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत परित्यक्त राजस्व  
वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14**

किसी भी कर प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चों को निधिपोषित करने के लिए राजस्व जुटाना होता है। जुटाए गए राजस्व की राशि मुख्यतः सामूहिक कर आधारों और प्रभावी कर दरों पर निर्भर होती है। इन दो कारकों का पता विभिन्न उपायों- विशेष कर दरों, छूटों, कटौतियों, रियायतों, आस्थगनों और क्रेडिटों से चलता है। इन उपायों को मिला कर 'कर तरजीह' कहा जाता है। इनका सरकारी राजस्व पर एक प्रभाव होता है और ये सरकार की महत्वपूर्ण नीति को परिलक्षित करते हैं।

कर नीति कर तरजीहों को उत्पन्न करती है तथा ऐसी कर तरजीहों को तरजीही करदाताओं को अप्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में देखा जा सकता है। इन अप्रत्यक्ष सब्सिडी भुगतानों का 'कर व्ययों' के रूप में उल्लेख किया जाता है। प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अप्रत्यक्ष भुगतानों को बजट में व्यय मदों के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। कारण यह है कि कर नीति न केवल कारगर बल्कि पारदर्शी भी होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि कार्यक्रम आयोजना में यह अपेक्षित है कि नीतिगत उद्देश्यों का सुस्पष्ट रूप से समाधान किया जाना चाहिए; और पारदर्शी बजट निर्माण कार्यक्रम में ऐसे परिव्ययों (कर व्ययों) को उनके सम्बन्धित कार्यक्रम शीर्षों के अन्तर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता है। कर व्यय कर संविधि में सन्निहित व्यय संबंधी कार्यक्रम हैं।

कर व्ययों को परित्यक्त राजस्व भी कहा जा सकता है। कर व्यय अथवा परित्यक्त राजस्व विवरण, पहली-बार संसद के समक्ष बजट 2006-07 के दौरान प्राप्ति बजट 2006-07 के अनुबंध-12 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसका सभी ने स्वागत किया था और इससे राजकोषीय नीति से सम्बन्धित सम्पूर्ण मुद्दों पर रचनात्मक परिचर्चा सम्भव हुई। इससे सरकार की कर नीति और कर व्ययों के मामले में पारदर्शिता लाने के इरादे को भी विश्वसनीयता प्राप्त हुई। इस विवरण के दूसरे संस्करण को बजट 2007-08 के दौरान संसद के समक्ष प्राप्ति बजट के अनुबंध-12 के रूप में तथा 'परित्यक्त राजस्व का विवरण' नामक एक पृथक बजट प्रलेख के रूप में भी प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद इसे बजट 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पिछले आठ वर्ष की भांति यह दस्तावेज उन कर प्रोत्साहनों अथवा कर सब्सिडियों के राजस्व प्रभाव को सूचीबद्ध करता है जो केंद्र सरकार की कर प्रणाली का हिस्सा हैं। ऐसे कर प्रोत्साहनों के कारण परित्यक्त राजस्व का अनुमान अधिकांश कर अधिमानताओं के संबंध में लगाया गया है। यह अनुमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए है, जो सब से हाल का वर्ष है, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। फिर भी, वित्तीय वर्ष 2012-13 के परित्यक्त राजस्व आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व परित्याग का अनुमान लगाने के लिए एक प्रयास किया गया है।

कर व्यय के अनुमान निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर लगाए गए हैं:

(क) अनुमानों और पूर्वानुमानों का आशय उन संभावित राजस्व प्राप्तियों को दर्शाना है जो छूटों, कटौतियों, भारित कटौतियों और इसी प्रकार के उपायों को हटा कर उगाहे गए होते हैं। ये अनुमान अल्पावधिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित हैं। वे इस मान्यता पर तैयार किये गए हैं कि इन उपायों को हटाने से अन्तर्निहित कर आधार प्रभावित नहीं होगा। जिस सीमा तक आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार, समग्र आर्थिक क्रियाकलाप और अन्य सरकारी नीतियों में विशिष्ट कर तरजीहों के निरसन के साथ बदलाव आ सकता है उसी सीमा तक राजस्व निहितार्थ भिन्न हो सकते हैं।

(ख) प्रत्येक कर रियायत की लागत का निर्धारण, यह मानते हुए कि अन्य सभी कर उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे, पृथक रूप से किया जाता है। तथापि अनेक कर रियायतें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अतः, कर प्रोत्साहनों का अन्योन्य क्रिया मिश्रित प्रभाव प्रत्येक प्रावधान के लिए अनुमानों और पूर्वानुमानों को जोड़ कर परिकलित परित्यक्त राजस्व से भिन्न हो सकता है।

विभिन्न कर प्रोत्साहनों के कारण परित्यक्त राजस्व का अनुमान लगाने के लिए अपनाई गई धारणाओं और पद्धतियों का उल्लेख इस विवरण के संबंधित भाग में किया गया है।

#### प्रत्यक्ष कर

आय कर अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ व्यक्तियों द्वारा बचतों को प्रोत्साहित करने; निर्यातों; संतुलित क्षेत्रीय विकास; आधारभूत ढांचा सुविधाओं की स्थापना; रोजगार, धर्मार्थ कार्यों के लिए दान और ग्रामीण विकास; वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास तथा सहकारी क्षेत्र के लिए कर प्रोत्साहनों के लिए व्यवस्था है। पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहन के रूप में, त्वरित मूल्यहास की भी व्यवस्था होती है। इन कर लाभों में से अधिकांश का फायदा कम्पनी और गैर-कम्पनी करदाताओं दोनों द्वारा उठाया जा सकता है। इस विवरण में कुछ मुख्य कर व्यय का अनुमान अथवा (क) कंपनियों; (ख) फर्मों, व्यक्तियों के संघ, व्यष्टियों के निकाय आदि तथा; (ग) व्यष्टियों एवं हिन्दू अभिभाजित परिवारों के लिए अलग-अलग उपयुक्त सेक्टरों के संबंध में परित्यक्त राजस्व का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है। धर्मार्थ अथवा सामाजिक प्रयोजन वाले कार्यकलापों में लगी कंपनियों के ब्यौरे भाग (घ) में दिये गये हैं। शीर्ष जिनके अंतर्गत परित्यक्त राजस्व का अनुमान लगाया गया है, व्यापक रूप से कंपनियों तथा फर्मों आदि के लिए समान है। तथापि व्यष्टियों के संबंध में कतिपय अन्य शीर्षों को भी शामिल किया गया है क्योंकि ये मात्र उनके लिए विशिष्ट है। निगम क्षेत्र के लिए विवरण में भी विभिन्न लाभ स्लेबों में कंपनियों के लिए प्रभावी कर दरों के विस्तार का विश्लेषण किया गया है। प्रभावी कर दरों का क्षेत्रीय विश्लेषण करने का भी प्रयास किया गया है।

#### क. कारपोरेट सेक्टर

बड़े कारोबार मुख्यतः कम्पनियों के रूप में संगठित हैं। आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2012-13 (अर्थात् कर निर्धारण वर्ष 2013-14) के लिए 31.3.2014 तक 618806 कम्पनियों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत आयकर विवरणियां प्राप्त हुई हैं। प्रत्येक कंपनी के लिए अपनी आय की विवरणी

इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करना अपेक्षित है। इस लिए ये विवरणियां वित्त वर्ष 2013-14 में दाखिल की गई सभी कारपोरेट विवरणियों का हिस्सा हैं। इन कंपनियों ने वित्त वर्ष 2012-13 की अपनी आय के लिए 243,921 करोड़ रुपए (अधिभार तथा शिक्षा उपकर सहित) के रूप में संदेय कारपोरेट कर की सूचना दी थी। उन्होंने वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान संदेय लाभांश वितरण कर के रूप में 19,996 करोड़ रुपए की भी सूचना दी थी।

कर व्यय का अनुमान लगाने के लिए इन 618806 कम्पनियों<sup>1</sup> के आंकड़ों को विश्लेषण हेतु डाटाबेस से चुना गया था तथा इनका ब्यौरा इस विवरण के परिशिष्ट तथा सारणी 1 से 5 तक में दिया गया है। सारणी-1 में इन कम्पनियों के मुनाफों की सीमाओं की जानकारी दी गई है। आंकड़ों के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आए हैं:

- वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान 334109 कम्पनियों (53.99 प्रतिशत) ने करों से पहले 10,87,160 करोड़ रुपये का लाभ तथा 7,49,901 करोड़ रुपये की कुल आय (कर योग्य आय)<sup>2</sup> की जानकारी दी है।
- 250865 कम्पनियों (40.54 प्रतिशत) ने 3,58,896 करोड़ रुपये के नुकसान होने की सूचना दी है।
- 33832 कम्पनियों (5.47 प्रतिशत) ने शून्य लाभ की जानकारी दी है।

इन सम्पूर्ण नमूना आंकड़ों की प्रभावी कर दर<sup>3</sup> 22.44 प्रतिशत<sup>4</sup> थी (जबकि 2011-12 में यह दर 22.85 प्रतिशत सूचित की गई थी) जबकि सांविधिक कर दर 32.445 प्रतिशत थी। कम्पनियां, जिनका कर से पहले लाभ (जिसे इसके बाद पीबीटी कहा जाएगा), 500 करोड़ रुपये तथा इससे अधिक था, का कुल पीबीटी 61.28 प्रतिशत था तथा उनके द्वारा दिया जाने वाला कुल कम्पनी आयकर 57.27 प्रतिशत था। तथापि, उनकी प्रभावी कर दर 20.97 प्रतिशत थी, जबकि उन कम्पनियों जिनकी पीबीटी एक करोड़ रुपए तक था, की प्रभावी कर दर 26.73 प्रतिशत थी। छोटी कंपनियों जो कंपनियों में सांविधिक दर के काफी निकट है, के लिए 26.73 प्रतिशत की यह प्रभावी दर लाभ संबंध कटौतियों को चरणबद्ध तरीके से धीरे-धीरे हटाने तथा कंपनियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाने के फलस्वरूप है। हालांकि, 22.44 प्रतिशत की संपूर्ण नमूना के लिए प्रभावी दर वित्त वर्ष 2011-12 में 22.85 प्रतिशत की प्रभावी दर की तुलना में मामूली कम है। इसके अतिरिक्त यह देखा गया है कि 618806 के आंकड़ों में कंपनियों के प्रोफाइल में दर्शाया गया है कि क्षति दर्शानेवाली कंपनियों की संख्या जो 2011-12 में 184653 (नमूने का 37.34 प्रतिशत) थी, से बढ़कर 2012-13 में 250865 (नमूने का 40.54 प्रतिशत) हो गयी है।

एक करोड़ रुपये तक कर पूर्व मुनाफे वाली कम्पनियों के लिए कर पूर्व लाभ की कुल आय का अनुपात कुल सैम्पल (68.98 प्रतिशत) के मुकाबले काफी अधिक (87.88 प्रतिशत) है। यह 26.73 प्रतिशत की औसत प्रभावी कर द्वारा भी दर्शाया गया है जो छोटी कंपनियों के लिए बहुत अधिक है। बड़ी कम्पनियों की तुलना में अपेक्षाकृत छोटी कम्पनियों के मामले में कर पूर्व लाभ से कम अन्तर प्रदर्शित करता है और यह कि बड़ी कम्पनियों द्वारा उच्च कर रियायतों का लाभ उठाया जा रहा है।

#### सारणी 1: करों से पहले मुनाफों की रेंज वाली सैम्पल कम्पनियों की रूपरेखा (वित्तीय वर्ष 2012-13) (सैम्पल आकार-6,18,806)

क्रम सं.	करों से पूर्व मुनाफा	कम्पनियों की संख्या	कर-पूर्व लाभों में हिस्सा (% में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कारपोरेट आयकर में हिस्सा (% में)	करों से पूर्व लाभ में कुल आय का प्रतिशत (% में)	प्रभावी कर दर (% में)
1	शून्य से कम	250865	0.00	0.44	0.44	-	-
2	शून्य	33832	0.00	3.21	2.05	-	-
3	0-1 करोड़ रुपए	302637	3.02	3.70	3.59	87.88	26.73
4	1-10 करोड़ रुपए	25029	6.89	7.64	7.78	79.34	25.33
5	10-50 करोड़ रुपए	4657	9.27	9.47	9.64	73.16	23.33
6	50-100 करोड़ रुपए	742	4.77	4.72	4.83	70.84	22.72
7	100-500 करोड़ रुपए	772	14.77	14.01	14.40	67.90	21.86
8	500 करोड़ रुपए से अधिक	272	61.28	56.81	57.27	66.36	20.97
9	सभी कंपनियां	<b>618806</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>68.98</b>	<b>22.44</b>

<sup>1</sup> वित्त वर्ष 2011-12 के लिए नमूना आकार 4,94,545 था।

<sup>2</sup> आयकर विवरणी में 'कुल आय' कराधेय आय को निरूपित करती है जैसा कि सामान्य बोलचाल की भाषा में अर्थ निकाला जाएगा।

<sup>3</sup> कम्पनियों के मामले में प्रभावी कर दर, करों से पूर्व (पीबीटी) कुल लाभों को संदत्त कुल कर (अधिभार एवं शिक्षा उपकर सहित किन्तु लाभांश वितरण कर व अनुषंगी लाभकर शामिल नहीं है) का अनुपात है एवं प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है।

<sup>4</sup> लाभांश वितरण कर सहित प्रभावी कर दर 24.27 प्रतिशत थी।

सारणी 2 में प्रभावी कर दरों के संदर्भ में नमूना कम्पनियों की रूप रेखा दी गयी है। 20 प्रतिशत तक की औसत प्रभावी कर दर वाली 341382 कम्पनियों का हिस्सा कर-पूर्व कुल लाभ का 39.70 प्रतिशत तथा कुल कर योग्य आय का 17.83 प्रतिशत और कुल संदत्त कर का 15.99 प्रतिशत बैठता है। दूसरे शब्दों में अधिकांश कम्पनियों (341382) ने अर्थात् कुल कंपनियों की 55.16 प्रतिशत कंपनियां अपने लाभों की तुलना में कर की काफी कम राशि का योगदान दिया। आश्चर्य की बात है किन्तु कुल लाभ का 4.19 प्रतिशत तथा कुल करों का 9.26 प्रतिशत वाली 33000 कम्पनियों की प्रभावी कर दर सांविधिक दर से अधिक थी। यह आयकर अधिनियम के तहत कतिपय व्ययों को लाभ एवं हानि लेखा के नामे डाले जाने को अस्वीकृति दिए जाने के कारण है। यह कम्पनियों में कर देयता के असमान वितरण को दर्शाता है। यह मुख्यतः सांविधिक विभिन्न कर तरजीहों के कारण है।

## सारणी 2 : नमूना कम्पनियों के प्रभावी कर-दर\* की रूपरेखा (वित्तीय वर्ष 2012-13) (नमूना आकार-6,18,806)

क्रम सं.	प्रभावशाली कर दर (% में)	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (% में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कर में हिस्सा (% में)
1	शून्य से कम तथा शून्य	307,632	10.20	0.55	0.44
2	0-20	33,750	29.50	17.28	15.55
3	20-25	18,688	15.16	15.06	15.30
4	25-30	32,844	11.59	13.74	14.14
5	30-33	159,060	29.36	41.78	43.26
6	>33	33,000	4.19	8.38	9.26
7	अनिर्धार्य (पीबीटी=0)	33,832	0.00	3.21	2.05
8	सभी कंपनियां	<b>618,806</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

\* प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल हैं।

सारणी 3 में सरकारी कम्पनियों (केवल पीएसयू) की प्रभावी कर दर की तुलना निजी कम्पनियों से की गयी है। हांलाकि दोनों श्रेणियों की दर सांविधिक दर के मुकाबले कम है फिर भी यह स्पष्ट है कि निजी क्षेत्र की कम्पनियां सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों की तुलना में अपने मुनाफे की बहुत बड़ी राशि कर के रूप में अदा करती हैं।

## सारणी 3 : सरकारी और निजी क्षेत्रों में सैम्पल कम्पनियों की प्रभावी कर दर\* (वित्त वर्ष 2012-13) (नमूना आकार-6,18,806)

क्रम सं.	क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कर में हिस्सा (% में)	प्रभावी कर दर (% में)
1	सार्वजनिक	227 <sup>#</sup>	26.71	25.59	21.49
2	निजी	618579	73.29	74.41	22.78
	योग	<b>618806</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>22.44</b>

\* प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल हैं।

# कर-निर्धारिता कम्पनियों (पीएसयू) द्वारा उनकी विवरणियों में दी गई सूचना पर आधारित

सारणी 4 में सैम्पल कम्पनियों के मामले में विनिर्माण क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र के मध्य में तुलना दर्शायी गई है। विनिर्माण क्षेत्र की प्रभावी दर (21.10 प्रतिशत) की तुलना में सेवा क्षेत्र की उच्च प्रभावी कर दर 23.71 प्रतिशत है। इन दोनों क्षेत्रों की प्रभावी कर दर है जो 32.445 प्रतिशत की सांविधिक दर से काफी कम है।

## सारणी 4 : विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में सैम्पल कम्पनियों की प्रभावी कर दर\* (वित्त वर्ष 2012-13) (नमूना आकार - 6,18,806)

क्रम सं.	क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कर में हिस्सा (% में)	प्रभावी कर दर (% में)
1	विनिर्माण	151875	48.79	45.89	21.10
2	सेवा	466931	51.21	54.11	23.71
	योग	<b>618806</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>22.44</b>

\* प्रभावी कर दर में अधिभार तथा शिक्षा उपकर शामिल हैं।

सारणी 5 वित्त वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान हुए राजस्व परित्याग के संबंध में कम्पनी करदाताओं पर प्रमुख कर व्ययों के ब्यौरे देती है। विश्लेषण 31 मार्च, 2014 तक दाखिल की गई कम्पनी विवरणियों अर्थात् वित्त वर्ष 2013-14 के लिए विवरणियों पर आधारित है।

इन कंपनियों द्वारा दावा की गई प्रत्येक कर रियायत पर, कर परित्याग की गणना, प्रत्येक कटौती की राशि पर 32.445 प्रतिशत (3 प्रतिशत शिक्षा कर और 5 प्रतिशत अधिभार सहित) की कारपोरेट कर दर लागू करके की गई है। बढ़े हुए मूल्य ह्रास; वैज्ञानिक अनुसंधान पर हुए व्यय पर कटौती/भारित कटौती; जनता के सामाजिक और आर्थिक उन्नयन की पात्र परियोजनाओं/स्कीमों पर व्यय के लिए कटौती के कारण राजस्व परित्याग की गणना, कम्पनियों के लाभ और हानि लेखों में डेबिट किए गए मूल्य ह्रास /कटौती और आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत मूल्यह्रास/कटौती के बीच अंतर को निर्धारण करके की गई है। इसके पश्चात् राजस्व परित्याग के आंकड़े प्राप्त करने के लिए इस अन्तर पर आयकर की 32.445 प्रतिशत की दर, लागू की गई है।

राजस्व परित्याग का एक और पहलू कर आस्थगन है। कर अस्थगन तब होता है, जब कर दाता को कर सांविधिक के अन्तर्गत उच्चतर कटौतियों की अनुमति दिए जाने के कारण, वह लघुअवधि के लिए कटौती के रूप में एक रियायत (उदाहरण मूल्यह्रास छूट) का दावा करते हुए अपनी कर देयता को अस्थगित करने में समर्थ होता है, जबकि वह उसी मूल्य ह्रास के दावे को अपने लेखों में कई वर्षों में दिखा रहा होता। चूंकि मूल्यह्रास से इस तरह का रोकड़ प्राप्त नहीं होता, अतः इसे कर आस्थगन कहा जाता है। दूसरी ओर कर सांविधिक के अन्तर्गत कम्पनियों पर लगने वाला न्यूनतम वैकल्पिक कर, कम्पनी द्वारा अपने शेररधारकों को दिए गए लाभ पर देयता (वर्ष 2012-13 के सम्बंध में बुक लाभों पर उपकर और अधिभार सहित 20 प्रतिशत की दर से) लगता है यदि यह देयता सामान्य दरों (वर्ष 2012-13 के सम्बंध में कर योग्य आय पर 32.445 प्रतिशत की दर से) पर परिकलित कर देयता से अधिक है। न्यूनतम वैकल्पिक कर के सम्बंध में अधिक देयता की अनुमति, क्रेडिट (10 वर्ष तक) के रूप में उस अगले वर्ष

तक दी जाती है जिसमें सामान्य कर देयता, न्यूनतम वैकल्पिक कर से अधिक हो। अतः न्यूनतम वैकल्पिक कर के सम्बंध में अदा किया गया अतिरिक्त कर, भावी कर देयता का अग्रिम भुगतान है। यह मूल्य ह्रास के दावों के कारण कर आस्थगन की अवधि को सीमित करता है तथा इसी दावे को लम्बी अवधि में बांटते हुए लाभ से जुड़ी कटौतियों जैसी अन्य कटौतियों के, कर परित्याग को कम करता है।

वित्त वर्ष 2012-13 के राजस्व परित्याग के आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2013-14 का राजस्व परित्याग निरूपित किया गया है। वर्ष 2013-14 के सम्बंध में आकलन, संशोधित संग्रहण अनंतिम के अनुसार वर्ष 2013-14 में निरूपित कारपोरेट कर वृद्धि द्वारा 2012-13 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन के राजस्व परित्याग को गुणा करते हुए किया गया है। सारणी 5 वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व परित्याग के रूप में कारपोरेट कर दाताओं पर मुख्य कर व्यय और वित्त वर्ष 2013-14 के लिए अनुमान को दर्शाती है।

**सारणी 5: वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान कारपोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय (नमूना आकार - 6,18,806)**

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए में) (2012-13)	निरूपित राजस्व परित्याग(करोड़ रुपए में) (2013-14)
1	विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10क एवं 10कक)	13535.2	14992.0
2	बढ़ा हुआ मूल्य ह्रास (धारा 32)	38122.7	42225.8
3	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) तथा 2कख)	6447.8	7141.8
4	जनता के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए पात्र परियोजनाओं या स्कीमों पर व्यय के लिए कटौती (धारा 35कग)	84.2	93.3
5.	विशिष्ट करोबार पर व्यय के लिए कटौती (धारा 35कघ)	2473.4	2739.6
6	धर्मार्थ न्यासों तथा संस्थाओं के लिए दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	399.1	442.1
7	वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दान पर कटौती (धारा 80छक)	0.8	0.9
8	राजनीतिक दलों को अंशदान देने पर कटौती (धारा 80छख)	10.7	11.9
9	अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	3661.1	4055.1
10	विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	273.0	302.4
11	दूरसंचार सेवाओं को उपलब्ध कराने में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	1102.6	1221.3
12	विद्युत के उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	8871.2	9826.0
13	विद्युत संयंत्र के पुनः उत्थान में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	33.4	37.0
14	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुसरण में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झकख)	1258.3	1393.7
15	लघु क्षेत्र में कार्यरत औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	19.7	21.8
16	जम्मू एवं कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	211.2	233.9
17	जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	213.1	236.0
18	पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	32.0	35.4
19	वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास से औद्योगिक क्षेत्रों के होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	60.5	67.0
20	खनिज तेलों के उत्पादन से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	8143.5	9020.0
21	आवासीय परियोजनाओं से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	504.2	558.5
22	शीत श्रृंखला सुविधा के परिचालन से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	0.2	0.2
23	खाद्य अनाजों की संभाल, भंडारण एवं परिवहन के एकीकृत व्यवसाय से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	20.1	22.3
24	फलों एवं सब्जियों के संसाधन, परिष्करण एवं पैकेजिंग से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	166.0	183.9
25	ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्साल से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	5.9	6.5
26	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	889.7	985.5
27	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	478.5	530.0

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए में) (2012-13)	निरूपित राजस्व परित्याग(करोड़ रुपए में) (2013-14)
28	उत्तरांचल में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	3764.9	4170.1
29	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	1568.3	1737.1
30	जैविक रूप से नष्ट होने वाले व्यर्थ पदार्थों के एकत्रीकरण एवं संसाधन के व्यवसाय से होने वाले लाभों की कटौती (80 जजक)	20.7	22.9
31	नये कामगारों के नियोजन के संबंध में कटौती (80 जजकक)	238.3	263.9
32	विदेशी बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की कतिपय आय के संबंध में कटौती (80उक)	23.3	25.8
33	विशिष्ट क्षेत्रों में होटलों कन्वेंशन सेंटर के सम्बंध में कटौती (धारा80 झग)	2.4	2.7
34	योग	92636.0	102606.4
35	घटा		
	न्यूनतम वैकल्पिक कर के कारण अतिरिक्त करदेयता-	= 29474	
	न्यूनतम वैकल्पिक कर के लेखे के दावे द्वारा कमी-	= 5558	
	न्यूनतम वैकल्पिक कर के परिणाम स्वरूप सकल अतिरिक्त कर=	23916	26490.1
	<b>कुल परित्यक्त राजस्व</b>	<b>68,720</b>	<b>76116.3</b>

यद्यपि पिछले वर्ष के विवरण में वर्ष 2012-13 के लिए निरूपित राजस्व परित्याग के आंकड़े (न्यूनतम वैकल्पिक कर के भुगतान के कारण अतिरिक्त कर को छोड़कर) 89446.6 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था, जो अब वास्तव में गणना के पश्चात 92,636 करोड़ रुपए है। न्यूनतम वैकल्पिक कर के परिणामस्वरूप एकत्रित अतिरिक्त कर को लेखे में लेने के बाद, वास्तविक राजस्व परित्याग 68007.6 करोड़ रुपए के संभावित राजस्व परित्याग की तुलना में थोड़ा सा बढ़कर 68720 करोड़ रुपए है। इसके लिए एक कारण यह है कि इस वर्ष के लिए राजस्व परित्याग के विवरण में विनिर्दिष्ट करोबार के संबंध में व्यय के लिए कटौती को शामिल नहीं किया गया है और इस शीर्ष के कारण राजस्व परित्याग 2473.4 करोड़ रुपए है।

त्वरित मूल्य ह्रास उस लेखा शीर्ष के लिए है जिसके अंतर्गत कर राजस्व की उच्चतम राशि (38122.7 करोड़ रुपए) का परित्याग हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में खनिज तेल के उत्पादन से जुड़े उपक्रमों, विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण से जुड़े उपक्रमों, आधारभूत सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों, विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित इकाइयों द्वारा ली गई कटौतियां कुल कर परित्याग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।

वित्त वर्ष 2012-13 के लिए एसईजैड में स्थित यूनितों के निर्यात लाभ पर राजस्व परित्याग पिछले वर्ष की विवरणी में 12,033.1 करोड़ रुपए निरूपित किया गया था। तथापि, अब उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इन इकाइयों पर वर्ष 2012-13 के दौरान वास्तविक राजस्व परित्याग 13,535.2 करोड़ रुपए गणना की गई है। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए इन इकाइयों के कारण राजस्व परित्याग 14992 करोड़ रुपए प्राक्कलित किया गया है। वित्त वर्ष 2012-13 के लिए प्राक्कलित राजस्व परित्याग की तुलना में वित्त वर्ष 2012-13 के वास्तविक राजस्व परित्याग में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए, विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित इकाइयों के सम्बंध में वित्त वर्ष 2013-14 में वास्तविक राजस्व परित्याग अनुमान से अधिक हो सकता है।

कम्पनियों की प्रभावी कर दर का उद्योग-वार वितरण इस विवरण के परिशिष्ट में सारणी में दिया गया है। निम्न रेंज में, शर्करा और विद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्र के लिए प्रभावी कर दर क्रमशः 9.98 प्रतिशत तथा 13.67 प्रतिशत है। खनन ठेकेदारों की प्रभावी कर दर भी 6.98 प्रतिशत पर काफी कम है। इसी प्रकार पट्टाधारी कंपनियों की प्रभावी कर दर भी 1.5 प्रतिशत पर काफी कम है।

#### (ख) गैर-कार्पोरेट (फर्म/एओपी/बीओआई) क्षेत्र

कार्पोरेट क्षेत्र के अलावा साझेदारी फर्मों, तथा व्यक्तियों के संघ (एओपी) अथवा व्यक्तियों के निकाय (बीओआई) के रूप में भी बड़े व्यवसाय संचालित किए जाते हैं। इन पर कर व्यय कंपनियों जितना अधिक नहीं है। वित्त वर्ष 2012-13 की आय के लिए आयकर विभाग ने 31 मार्च तक इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से 849178 विवरणियां प्राप्त की हैं। कर व्यय का अनुमान लगाने के प्रयोजनार्थ, आयकर विभाग के डाटाबेस से इन 849178 फर्मों/एओपी/बीओआई से संबंधित डाटा चुना गया। वे वित्त वर्ष 2012-13 में फर्मों/एओपी/बीओआई की समष्टि द्वारा संदत्त कर के बहुत बड़े हिस्से को बनाते हैं।

डाटा का विश्लेषण किया गया तथा निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आए:

- नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई ने वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कर पूर्व लाभ के रूप में 91,042 करोड़ रुपए की सूचना दी तथा 78,577 करोड़ रुपए की कुल आय (कराधेय आय) की घोषणा की। लगभग 85,458 विवरणियों में हानि दर्शाई गई जो नमूने का 10.06 प्रतिशत है।
- इन नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई ने वित्त वर्ष 2012-13 के लिए संदेय आयकर के रूप में (शिक्षा उपकर सहित) 23,490 करोड़ रुपए सूचित किया है। उनके मामले में प्रभावी कर दर\* 25.80 प्रतिशत बनती है।

नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा दावाकृत प्रत्येक कर रियायत पर, कर परित्याग की गणना, प्रत्येक कटौती की राशि पर 30.90 प्रतिशत (30 प्रतिशत जमा 3 प्रतिशत अधिभार) की आयकर दर लागू की गई है। बढ़े हुए मूल्य ह्रास; वैज्ञानिक अनुसंधान पर हुए व्यय पर कटौती/भारित कटौती; जनता के सामाजिक और आर्थिक उन्नयन की पात्र परियोजनाओं/स्कीमों पर कटौती और व्यय के कारण राजस्व परित्याग की गणना, फर्मों/एओपी/बीओआई के लाभ और हानि लेखों में डेबिट किए गए मूल्य ह्रास/कटौती और आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत्य मूल्यह्रास/कटौती के अन्तर से की जाती है। इसके पश्चात परित्याग राजस्व के आंकड़े पर आने के लिए इस अन्तर पर आयकर की 30.90 प्रतिशत की दर, लागू की गई है।

\* फर्मों/ए ओ पी/बी ओ आई के मामले में प्रभावी कर दर कुल संदत्त कर (शिक्षा उपकर सहित) का कुल कर-पूर्व लाभों (पीबीटी) का अनुपात होता है तथा एक प्रतिशतता के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है।

वित्त वर्ष 2012-13 के लिए राजस्व परित्याग आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2013-14 के लिए राजस्व परित्याग का अनुमान लगाया गया है। 2013-14 के लिए अनुमान 2013-14 में संग्रहीत वास्तविक आय कर (अंतिम) के अनुपात की गणना वर्ष 2012-13 में संग्रहीत वास्तविक आय कर से करके की गई है। सारणी 6 वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान राजस्व परित्याग की दृष्टि से गैर-कार्पोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय दर्शाती है। उच्चतम कर व्यय सहकारी समितियों के लाभों की कटौती के कारण है जो इस क्षेत्र में कुल राजस्व परित्याग का 25.35 प्रतिशत बनता है। आवासीय परियोजनाओं से प्राप्त लाभों की कटौती के कारण आवासीय परियोजनाओं में प्राप्त लाभों की कटौती के कारण कुल राजस्व परित्याग का 16.96 प्रतिशत है। विनिर्दिष्ट कारोबार पर व्यय के लिए कटौती को इस वर्ष के विवरण में शामिल किया गया है और यह 683.30 करोड़ रुपये पर राजस्व परित्याग का तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा है।

**सारणी 6 : वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान नमूना फर्मों /एओपी/बीओआई पर प्रमुख कर व्यय (नमूना आकार-8,49,178)**

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए) (2012-13)	निरूपित राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए) (2013-14)
1	विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10क एवं 10कक)	383.8	462.5
2	बढ़ा हुआ मूल्यहास (धारा 32)	579.3	698.1
3	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) तथा 2खक))	28.3	34.1
4	जनता के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए पात्र परियोजनाओं या स्कीमों पर व्यय के लिए कटौती (धारा 35कग)	13.4	16.2
5	विनिर्दिष्ट कारोबार पर व्यय के लिए कटौती (धारा 35कघ)	683.3	823.4
6	धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थाओं को दान पर कटौती (धारा 80छ)	43.5	52.4
7	अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झक)	23.0	27.7
8	विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झक)	85.4	103.0
9	दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झक)	0.4	0.5
10	विद्युत के उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झक)	127.9	154.1
11	विद्युत संयंत्रों के पुनर्द्धार में लगे उपक्रम के लाभों की कटौती (धारा 80-झक)	4.0	4.8
12	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुसरण में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झकख)	8.6	10.4
13	लघु क्षेत्रों में प्रचालित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	7.0	8.4
14	जम्मू एवं कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	63.4	76.5
15	जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	14.1	16.9
16	पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	10.3	12.4
17	आवासीय परियोजनाओं से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	1002.1	1207.6
18	शीत श्रृंखला सुविधा के परिचालन से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	0.7	0.9
19	खाद्य अनाजों के प्रबंधन, भंडारण एवं परिवहन के एकीकृत व्यवसाय से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	2.6	3.1
20	फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिष्करण एवं पैकेजिंग से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	14.4	17.4
21	ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्साल से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	1.8	2.1

22	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	286.3	345.0
23	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	371.0	447.1
24	उत्तरांचल में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	253.8	305.8
25	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	397.2	478.6
26	जैविक रूप से नष्ट होने वाले व्यर्थ पदार्थों के एकत्रीकरण एवं संसाधन के व्यवसाय से होने वाले लाभों की कटौती (80अजक)	3.7	4.5
27	विदेशी बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) की कतिपय आय के संबंध में कटौती (80ठक)	0.1	0.2
28	विशिष्ट क्षेत्रों में होटलों और सम्मेलन केन्द्रों के संबंध में कटौती (धारा 80झघ)	1.4	1.7
29	सहकारी समितियों के लाभों की कटौती (धारा 80त)	1498.1	1805.4
	<b>योग</b>	<b>5908.9</b>	<b>7120.8</b>

### (ग) व्यष्टि करदाता:

आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क में मुख्यतः कतिपय भुगतानों और कतिपय आय पर कटौती का प्रावधान है। व्यष्टि करदाता इन कटौतियों का दावा करने के लिए पात्र हैं तथा उनको व्यापक श्रेणी की कर प्राथमिकताएं उपलब्ध हैं। तथापि, चूंकि 50 लगभग प्रतिशत व्यष्टि करदाता अपनी आय मुख्यतः वेतन से प्राप्त करते हैं, इसलिए उनके द्वारा लाभ से जुड़ी कटौतियों (अर्थात् कतिपय व्यवसाय आय पर कटौती) का दावा नहीं किया जाता है। दूसरी ओर, गैर-वेतनभोगी व्यष्टियों का समूह दोनों प्रकार की कटौतियों का दावा करता है।

व्यष्टि करदाताओं को प्रदान किए गए विभिन्न कर लाभों के कारण परित्यक्त राजस्व के अनुमान सारणी 7 में दिए गए हैं। आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क के विभिन्न खंडों के अंतर्गत परित्यक्त राजस्व का अनुमान 31 मार्च, 2014 तक आयकर विभाग के पास व्यष्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में दाखिल 2,31,49,112 विवरणियों में कर प्राथमिकताओं के लिए विभिन्न दावों के आधार पर किया गया है। अध्याय VI-क के अलावा वित्त वर्ष 2012-13 में व्यष्टि करदाताओं पर अन्य मुख्य कर व्यय वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यष्टि) के लिए उच्च बुनियादी छूट सीमाओं तथा अति वरिष्ठ नागरिकों (अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यष्टि) के लिए 5,00,000 रु. की बढ़ाई गई छूट सीमा के कारण था।

2,31,49,112 आयकर विवरणियों के नमूनों के आंकड़ों के आधार पर करदाताओं की पूरी संख्या के लिए परित्यक्त राजस्व का अनुमान निम्नप्रकार से किया गया है:-

- यथोक्त (सारणी 7 की क्रम सं. 23 एवं 24) के अनुसार उच्च बुनियादी छूट सीमाओं के कारण परित्यक्त राजस्व का परिकलन प्रति वरिष्ठ नागरिक एवं अति वरिष्ठ नागरिक के परित्यक्त राजस्व को उनकी संबंधित संख्या से गुणा करके किया गया है। उनकी संबंधित संख्या का अनुमान उनके द्वारा दाखिल नमूना विवरणियों की प्रतिशतता का परिकलन करके किया गया है। इसके पश्चात् इस प्रतिशतता को वित्त वर्ष 2012-13 के लिए व्यष्टियों द्वारा दाखिल विवरणियों की कुल संख्या के अनुमान पर लागू किया गया है। 31 मार्च, 2014 तक आयकर विभाग के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल कुल नमूना विवरणियों की संख्या 2,31,49,112 है। वित्त वर्ष 2012-13 के लिए व्यष्टियों द्वारा दाखिल विवरणियों की कुल संख्या वित्त वर्ष 2011-12 के लिए दाखिल 32354842 विवरणियों के अनुमान पर 5 प्रतिशत की वृद्धि मानकर 3,39,72,584 होने का अनुमान है। नमूना विवरणियों के अनुसार 8.59 प्रतिशत विवरणियां वरिष्ठ नागरिकों द्वारा तथा 0.3 प्रतिशत विवरणियां अति वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दाखिल की गईं। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिक के कारण परित्यक्त राजस्व का परिकलन 2,00,000 रु. की सामान्य छूट सीमा की तुलना में उच्च बुनियादी छूट सीमा (अर्थात् 2,50,000 रु.) के बीच अन्तर और उस अन्तर पर 10 प्रतिशत (उपकर सहित) की न्यूनतम कर दर लागू करके किया गया है। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए परित्यक्त राजस्व 5,150 रु. है। अति वरिष्ठ नागरिक के लिए छूट की सीमा 5,00,000 रु. है और ऐसी आय पर 30,900 रु. (उपकर सहित) की राशि का भुगतान ऐसे व्यष्टियों द्वारा किया जाना है जिनकी आय साठ वर्ष से कम है। इसे प्रत्येक अति वरिष्ठ नागरिक के लिए होने वाला परित्यक्त राजस्व लिया गया है। इसके पश्चात्, प्रत्येक ऐसे करदाता (वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक) के कारण परित्यक्त राजस्व का अनुमान 2,00,000 रु. की सामान्य छूट सीमा के ऊपर ऐसे करदाताओं की संख्या के कुल अनुमान पर की गई है।
- विशेष रूप से धारा 80-झक, 80-झकख, 80-झख, 80-झग और 80-झघ (सारणी 7 की क्रम सं. 13 से 17) के अंतर्गत कटौती के मामले में परित्यक्त राजस्व का परिकलन यह मानकर किया गया है कि वास्तविक आंकड़ा इन धाराओं के अंतर्गत व्यष्टियों द्वारा किए गए कुल दावों को दर्शाता है क्योंकि वित्त वर्ष 2012-13 की आय के लिए सभी लेखा-परीक्षित कर विवरणियां अनिवार्य ई-फाइलिंग के अधीन थीं।
- अन्य सभी मामलों में, सभी करदाताओं के लिये परित्यक्त राजस्व का निर्धारण निम्नप्रकार से किया गया है-
  - पहले प्रत्येक आय खंड, जिसके लिए नमूना विवरणियों में पृथक कर दर है, के लिये प्रति करदाता किसी विशेष प्रोत्साहन के लिए औसत परित्यक्त राजस्व की गणना की जाती है।
  - उसके बाद, वित्त वर्ष 2012-13 के लिए व्यष्टियों द्वारा दाखिल विवरणियों की कुल संख्या में उस आय खंड में व्यष्टि करदाताओं की अनुमानित संख्या को प्रत्येक प्रोत्साहन के लिए औसत परित्यक्त राजस्व से गुणा किया गया है।

इससे किसी विशेष प्रोत्साहन हेतु उस आय खंड के लिए परित्यक्त राजस्व प्राप्त होता है। सभी खंडों के लिए परित्यक्त राजस्व के जोड़ से उस विशेष कर प्रोत्साहन के कारण सभी लोगों के लिए परित्यक्त राजस्व प्राप्त होता है।

- (iv) वित्त वर्ष 2012-13 के परित्यक्त राजस्व के आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2013-14 के लिए परित्यक्त राजस्व का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2013-14 के लिए अनुमान, वर्ष 2013-14 के वास्तविक संग्रहण के अनुसार वैयक्तिक आयकर संग्रहण के अनुपात को वर्ष 2012-13 में संग्रहीत वास्तविक वैयक्तिक आयकर की गणना करके और उसके बाद उस अनुपात को 2012-13 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन के कारण परित्यक्त राजस्व पर लागू करके किया गया है।

उपर्युक्त ब्यौरे के अनुसार, सारणी 7 वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान परित्यक्त राजस्व के रूप में व्यष्टि करदाताओं पर हुए मुख्य कर व्यय को दर्शाता है।

**सारणी-7 वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14  
के दौरान व्यष्टि करदाताओं पर मुख्य कर व्यय**

क्रम सं.	प्रोत्साहन/कटौती की प्रकृति	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपये में) (2012-13)	निरूपित राजस्व परित्याग (करोड़ रुपये में) (2013-14)
1	कतिपय निवेशों और भुगतानों के कारण कटौती (धारा 80ग)	23192.4	27949.2
2	कतिपय पेंशन निधियों में योगदान के कारण कटौती (धारा 80गगग)	135.2	162.9
3	नई पेंशन योजना में अंशदान के कारण कटौती (धारा 80गगघ)	50.5	60.9
4	आरजीईएसएस में निवेश के कारण कटौती (धारा 80गगघ)	8.3	10.0
5	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के कारण कटौती (80घ)	770.7	928.8
6	विकलांग आश्रित के चिकित्सा उपचार पर व्यय के कारण कटौती (80घघ)	133.6	161.0
7	विनिर्दिष्ट बीमारियों के चिकित्सा उपचार हेतु व्यय के कारण कटौती (80घघख)	58.0	69.9
8	उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (80ड.)	238.1	286.9
9	धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थानों को दान के कारण कटौती (80छ)	293.5	353.7
10	आवास हेतु चुकाए गए किराए के कारण कटौती (80छछ)	113.8	137.1
11	वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास हेतु दान के कारण कटौती (80छछक)	28.1	33.9
12	राजनीतिक दलों को दिए गए अंशदान के कारण कटौती (80छछग)	16.9	20.4
13	अवसंरचना सुविधाओं, विशेष आर्थिक क्षेत्रों तथा औद्योगिक पार्कों के विकास, विद्युत उत्पादन के कार्य में लगे एवं दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाले उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झक)	58.2	70.2
14	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झकख)	2.3	2.8
15	आवासीय परियोजनाओं, खनिज तेल के उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास खाद्यान्न के प्रबंधन, भण्डारण एवं परिवहन के एकीकृत करोबार तथा जम्मू एवं कश्मीर एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झख)	108.3	130.5
16	पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तरांचल एवं हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झग)	222.6	268.3
17	विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में होटलों, सम्मेलन केन्द्रों के संबंध में कटौती (धारा 80झघ)	1.9	2.3
18	जैविक रूप से नष्ट होने वाले व्यर्थ पदार्थों के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के कारोबार से लाभों की कटौती (80झक)	8.3	9.9
19	पाठ्य पुस्तकों के अलावा कतिपय अन्य पुस्तकों के लेखकों की रॉयल्टी आय की कटौती (80थथख)	10.1	12.2
20	पेटेंट पर रॉयल्टी आय की कटौती (80ददख)	1.1	1.3
21	विकलांग व्यक्ति के मामले में कटौती (80प)	113.1	136.3
22	बचत खाते में ब्याज के कारण कटौती (धारा 80ननक)	571.8	689.1
23	वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च छूट सीमा	1182.0	1424.4
24	अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च छूट सीमा	308.0	371.2
	<b>योग</b>	<b>27626.8</b>	<b>33293.2</b>

विभिन्न बचत पत्रों में निवेश, आवास ऋण के मूलधन के पुनर्भुगतान और बच्चों के लिए शिक्षा शुल्क के भुगतान ये सभी आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत आते हैं पर होने वाला कर व्यय वैयक्तिक करदाताओं के मामले में अकेला सबसे बड़ा कर व्यय है। उसके बाद स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (धारा 80घ) और बचत बैंक खाते (धारा 80ननक) के कारण होने वाली कटौती है। वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च बुनियादी छूट सीमा के कारण होने वाला परित्यक्त राजस्व भी काफी अधिक हैं। जहां तक लाभपरक कटौतियों का संबंध है, सबसे अधिक कर व्यय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झख और धारा 80-झग के कारण है।

#### (घ) धर्मार्थ संस्थाएं:

आयकर अधिनियम धर्मार्थ प्रकृति के उद्देश्यों में लगे सरकारी निधिपोषित संस्थाओं सहित विभिन्न संस्थाओं को छूट प्रदान करता है। इसके अलावा, सामाजिक प्रयोजनों को पूरा करने वाली कतिपय गतिविधियों में लगी हुई संस्थाओं को भी विशिष्ट छूट उपलब्ध है। ये संस्थाएं दान, स्वैच्छिक अंशदान प्राप्त करती हैं और इनकी धर्मार्थ प्रकृति की गतिविधियों से अन्य आय होती है। इस प्रकार की संस्थाओं की कुल प्राप्तियों को उन प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त करने की अपेक्षा होती है जिसके लिए इनकी स्थापना हुई है। इन संस्थाओं से एक आयकर विवरणी दाखिल करने की अपेक्षा है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान इस प्रकार की संस्थाओं के इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल विवरणियों की कुल संख्या 106443 है। इस प्रकार की संस्थाओं द्वारा भारत में धर्मार्थ प्रयोजनों और धार्मिक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त कुल राशि 2,00,274 करोड़ रु. है।

#### अप्रत्यक्ष कर

##### क. उत्पाद शुल्क

उत्पाद शुल्क को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की प्रथम और द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार लगाया जाता है। कई-कई मामलों में वित्त अधिनियमों के द्वारा यह निर्धारित होता है कि यह शुल्क किस दर से लगाया जाएगा इन विभिन्न अधिनियमों में विनिर्दिष्ट दरों को उत्पाद शुल्क के "टैरिफ दर" के नाम से जाना जाता है। केन्द्र सरकार को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5 क (1) के अंतर्गत यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह जनहित में छूट संबंधी अधिसूचनाएं जारी कर सकती है जिससे कि इन अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट टैरिफ दरों से कम दर पर शुल्क का निर्धारण किया जा सकता है। इन छूट अधिसूचनाओं द्वारा विनिर्दिष्ट दरों को "लागू दर" के नाम से जाना जाता है।

परित्यक्त राजस्व को इन छूट अधिसूचनाओं के बिना भुगतान किये जाने वाले शुल्क और उक्त अधिसूचना के अनुसार वास्तव में भुगतान किये गये शुल्क के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है-

- जहां कि शुल्क की टैरिफ दर और लागू दर को मूल्यानुसार विनिर्दिष्ट किया जाता है वहां पर;  
**परित्यक्त राजस्व = (माल का मूल्य x शुल्क की टैरिफ दर) - (माल का मूल्य x लागू दर)**
- जहां कि टैरिफ दर मूल्यानुसार आधारित है लेकिन लागू दर छूट अधिसूचना के अनुसार विनिर्दिष्ट दर से वसूला जाता है वहां पर-  
**परित्यक्त राजस्व = (माल का मूल्य x शुल्क की टैरिफ दर) - (माल का मूल्य x विनिर्दिष्ट शुल्क की लागू दर)**
- जहां कि टैरिफ दर और लागू दर मूल्यानुसार और विशिष्ट दर का योग (कम्बिनेशन) बनता है वहां पर परित्यक्त राजस्व की गणना तदनुसार की जाती है।
- सभी मामलों में जहां कि शुल्क की टैरिफ दर लागू दर के बराबर होती है वहां पर परित्यक्त राजस्व शून्य होगा।

उक्त धारा 5 क (1) के अंतर्गत सामान्य छूट अधिसूचनाओं को जारी करने की शक्ति के अलावा केन्द्र सरकार के पास यह भी शक्ति है कि वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5 क (2) के अंतर्गत कतिपय आपवादिक परिस्थितियों में मामले दर मामले के आधार पर उत्पाद शुल्क से छूट देने के लिए विशेष आदेश जारी कर सकती है। हालांकि, उस सामान्य छूट से भिन्न जो कि केन्द्र सरकार की वित्तीय नीति का अभिन्न हिस्सा होती है, ऐसे छूट आदेशों को जारी करने का मुख्य उद्देश्य इन अपवादित परिस्थितियों का समाधान करना होता है। इस प्रकार इस विशेष छूट आदेशों के जारी किये जाने के कारण होने वाले परित्यक्त शुल्क की गणना परित्यक्त राजस्व के रूप में नहीं की जा रही है।

देश भर के सभी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर की स्वचालित व्यवस्था (एसीईएस) शुरू की गई है वर्ष 2012-13 का परित्यक्त राजस्व इसी एसीईएस के आंकड़े पर आधारित है जिसमें अन्य बातों के अलावा निर्धारितियों द्वारा भरे गये रिटर्न में दिये गये आंकड़े भी लिए गये हैं। चूंकि प्राप्त राजस्व के वास्तविक आंकड़े पूरे वर्ष के होते हैं अतः परित्यक्त राजस्व के आंकड़ों में भी संशोधन किया गया है। क्षेत्र आधारित छूट योजनाओं को लागू किये जाने के कारण परित्यक्त शुल्क को संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोनों से अलग-अलग प्राप्त किया जाता है और इनको फिर एक में जोड़ा जाता है। पिछले बजट में, वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए परित्यक्त राजस्व का अनुमान उस वाग्विस्तार विधि का प्रयोग करते हुए लगाया गया था जो कि इस वर्ष के एक अंश अर्थात् अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013 तक के प्राप्त आंकड़े पर आधारित थी। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 का परित्यक्त राजस्व अनुमानित तौर पर 20,61,88 करोड़ रुपये था [187688 करोड़ रुपये (सामान्य छूट) + 18500 करोड़ रुपये (क्षेत्र आधारित छूट)]। वित्तीय वर्ष 2012-13 का संशोधित परित्यक्त राजस्व, जो पूरे वर्ष के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित है, अब उपलब्ध है और यह 206188 करोड़ रुपये के आकलन की तुलना में 209940 करोड़ रुपये [193309 करोड़ रुपये (सामान्य छूट) + 16,631 करोड़ रुपये (क्षेत्र आधारित छूट)] होता है।

एसीईएस आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2013-14 के पूरे वर्ष के संबंध में परित्यक्त राजस्व के अनंतिम आंकड़े भी उपलब्ध हैं। वित्त वर्ष 2013-14 के संबंध में परित्यक्त राजस्व 195679 करोड़ रुपये है [177680 करोड़ रुपये (सामान्य छूट) और 17999 करोड़ रुपये (क्षेत्र आधारित छूट)]

195679 करोड़ रुपये के आंकड़े (अनंतिम पिछले वर्ष के 209940 करोड़ रुपये के संशोधित आंकड़ों के मुकाबले 6.8 प्रतिशत की कमी दर्शाते हैं। वर्ष 2013-14 में परित्यक्त राजस्व के दर्ज किये गये आंकड़ों में वर्ष 2012-13 की तुलना में कमी आयी है। उत्पाद शुल्क के कुल संग्रहण में वर्ष 2012-13 की तुलना में वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 4.4 प्रतिशत की कमी आयी है।

जहां तक क्षेत्र आधारित छूटों का संबंध है इस समय दो प्रकार की योजनाएं चल रही हैं-

(i) धनवापसी पर आधारित (उत्तर-पूर्व तथा जम्मू एवं कश्मीर) और (ii) पूर्ण छूट (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड)। धनवापसी आधारित छूट के मामले में परित्यक्त राजस्व की संगणना संगत वर्ष के दौरान व्यक्तिगत इकाईयों को स्वीकृत सभी धन वापसियों के योग के आधार पर की जाती है। क्लियरेंस में हो रही बढ़ोत्तरी के कारण यह स्पष्ट है कि धनवापसी की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। जहां तक पूर्ण छूट का संबंध है, परित्यक्त राजस्व

की गणना सामान्य लागू दर और वास्तविक रूप से भुगतान किये गये शुल्क (शून्य) के अंतर का प्रयोग करते हुए की जाती है। अतः इसी तर्क के आधार पर छूट योजनाओं से संबंधित परित्यक्त राजस्व में भी बढ़ोत्तरी का रूख ही दिखाई दे रहा है।

राजस्व परित्याग आंकड़े निम्नलिखित तालिका 8 में दिए गए हैं।

**सारणी 8 : उत्पाद शुल्क के अंतर्गत कर व्यय**

क्रम सं.	छूट के ब्यौरे	परित्यक्त राजस्व (करोड़ रूपए में)		
		2012-13	2013-14	
		अनुमानित	संशोधित	(अनंतिम)
1	उत्तर पूर्व राज्यों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में लागू क्षेत्र आधारित छूटें	18500	16631	17999
2	अन्य	187688	193309	177680
	<b>योग</b>	<b>206188</b>	<b>209940</b>	<b>195679</b>

**ख. सीमाशुल्क**

‘टैरिफ दरों’ के रूप में ज्ञात सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट दरों के अनुसार, सीमाशुल्क ड्यूटी सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय है। सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में (i) सीमाशुल्क की अतिरिक्त ड्यूटी (सामान्यतः बराबर ड्यूटी अथवा सीवी ड्यूटी के रूप में संदर्भित), जो एक समान वस्तुओं पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क ड्यूटी के बराबर दर पर उद्ग्रहीत की जाती है यदि भारत में उत्पादित अथवा निर्मित हो और (ii) विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क ड्यूटी (सामान्यतः विशेष सीवीडी अथवा एसएडी के रूप में संदर्भित) जो 4 प्रतिशत की दर पर उद्ग्रहणीय है, के उद्ग्रहण का भी प्रावधान है। केन्द्रीय सरकार को लोकहित में अधिसूचनाओं को जारी किये जाने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (1) के अंतर्गत छूट की शक्तियां सौंपी गई हैं ताकि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित टैरिफ दरों से कम पर ड्यूटी दरें निर्धारित की जा सकें। अधिसूचना द्वारा निर्धारित ये दरें ‘प्रभावी दरों’ के रूप में जानी जाती हैं।

राजस्व परित्याग को ड्यूटी के मध्य अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है जो यदि ऐसा न होता तो छूट अधिसूचना और उक्त अधिसूचना के अनुसार देय वास्तविक ड्यूटी पर, देय होता। अन्य शब्दों में,

**राजस्व परित्याग = मूल्य x (शुल्क की टैरिफ दर - शुल्क की प्रभावी दर)**

ऐसे मामलों में, जहां टैरिफ दर प्रभावी दर के बराबर है, राजस्व परित्याग शून्य हो जाता है।

विभिन्न छूट अधिसूचनाओं के अंतर्गत राजस्व परित्याग का अनुमान विभिन्न इलैक्ट्रॉनिक आंकड़ा विनिमय (ईडीआई) स्थलों पर भारतीय सीमाशुल्क इलैक्ट्रॉनिक आंकड़ा विनिमय प्रणाली (आईसीईएस) में दर्ज प्रविष्टि बिलों से उत्पन्न आंकड़े पर आधारित है। चूंकि ईडीआई प्रणाली, गैर-ईडीआई स्थलों के माध्यम से आयातों अथवा जहां ईडीआई प्रणाली पूर्णतः प्रचालित नहीं है अथवा जहां प्रविष्टि बिलों को अभी तक हाथ द्वारा दर्ज किया जा रहा है, के संबंध में डाटा हासिल नहीं करता है, तो राजस्व परित्याग की कुल स्थिति तक पहुंचने के क्रम में उचित व्यवस्थाएं की गई हैं। राजस्व परित्याग डाटा मूल की सीमाशुल्क ड्यूटी, सीवी ड्यूटी से छूटों और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के अंतर्गत जारी अधिसूचनाएं छूट, जो सीवी ड्यूटी के उद्ग्रहण के लिए संगत हैं, पर भी ध्यान देता है। यह 4 प्रतिशत के विशेष सीवीडी से छूटों पर भी ध्यान देता है।

वर्ष 2012-13 के लिए, ईडीआई डाटा द्वारा अभिग्रहीत कुल सीमा शुल्क राजस्व 173634 करोड़ के वास्तविक कुल सीमाशुल्क राजस्व संग्रहण के मुकाबले 156608 करोड़ था। इस प्रकार, ईडीआई ने वर्ष 2012-13 के लिए वास्तविक प्रतिवेदित कुल सीमाशुल्क राजस्व संग्रहण का लगभग 90.19 प्रतिशत अभिग्रहण किया।

वर्ष 2012-13 हेतु पूर्वचिंतित राजस्व का हल किए जाने के क्रम में, ईडीआई डाटा, खाद्य तेलों, खनिजों और अयस्कों तथा पेट्रोलियम उत्पादों/ कच्चा पेट्रोलियम, जो सीमाशुल्क स्थलों से अधिकांश नौभार के रूप में सामान्यतः आयात किए जाते हैं, जिनमें से कुछ अब ईडीआई में नहीं हैं, से राजस्व लिए जाने के साथ उचित रूप से व्यवस्थित किया जाता है।

वर्ष 2012-13 के लिए कुल सीमाशुल्क राजस्व 173634 करोड़ था। वर्ष 2012-13 के लिए ईडीआई डाटा के अनुसार कुल वसूला गया राजस्व 156608 करोड़ था जो 90.19 प्रतिशत की व्याप्ति को दर्शाता है। ईडीआई प्रणाली से यथा उत्पन्न कुल राजस्व परित्याग 269742 करोड़ आया है। सभी छूट अधिसूचनाओं के कारण 2012-13 हेतु व्याप्ति और अधिकांश नौभार (ईडीआई पर नहीं), परित्यक्त ड्यूटी गत वर्ष प्रकाशित 298094 करोड़ की परित्यक्त ड्यूटी के मुकाबले 299066 करोड़ पर बैठता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन स्कीमों से राजस्व परित्याग घटाने के पश्चात किन्तु निम्नलिखित तालिका को क्र.सं. 14 पर उल्लिखित प्रोत्साहन स्कीमों से राजस्व परित्याग सहित, वर्ष 2012-13 हेतु निवल परित्यक्त ड्यूटी 254039 करोड़ पर कार्यान्वित की गई है [299066 करोड़ - 45027 करोड़]।

वर्ष 2013-14 हेतु अनंतिम राजस्व परित्याग कार्यान्वित किए जाने के क्रम में, समान कार्य प्रणाली अपनाई गई थी। इस वर्ष ईडीआई ने वास्तविक प्रतिवेदित कुल सीमाशुल्क राजस्व संग्रहण का लगभग 90.35 प्रतिशत अभिग्रहण किया गया। 2013-2014 अवधि हेतु ईडीआई और गैर ईडीआई राजस्व परित्याग आंकड़े 306500 करोड़ (अनंतिम) हेतु बर्हिवेशन हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन स्कीमों से राजस्व परित्याग को घटाने के पश्चात किन्तु नीचे तालिका 11 की क्रम संख्या 14 पर उल्लिखित प्रोत्साहन स्कीमों से राजस्व परित्याग सहित, वर्ष 2013-14 के लिए निवल परित्यक्त ड्यूटी (अनुमानित) 260714 करोड़ [306500 करोड़ रूपये-45786 करोड़ रूपये] कार्यान्वित की गई।

वर्ष 2012-13 की तुलना में इस वर्ष के परित्यक्त राजस्व में वृद्धि (पिछले वर्ष के मुकाबले 2.6 प्रतिशत अधिक) हुई है, क्योंकि चालू वित्तीय वर्ष में सीमाशुल्क के संग्रहण के आधार (जैसे आयात का सकल मूल्य/परिमाण) में भी विस्तार किया गया है जैसा कि इस बात से प्रकट होता है कि है सीमाशुल्क पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2012-13 की तुलना में संकलित सीमाशुल्क से 4.1 प्रतिशत अधिक है। तथापि, सोने और चांदी पर सीमा शुल्क की दरों (टैरिफ दरों के अनुसार) में बढ़ोत्तरी के कारण परित्यक्त राजस्व सीमा शुल्क संग्रहण की तुलना में उसी अनुपात में नहीं बढ़ा है।

प्रमुख जिंस समूहों और सकल परित्यक्त शुल्क में उनके हिस्से के आधार पर 2012-13 और 2013-14 की अवधि के परित्यक्त सीमाशुल्क को नीचे दी गई सारणी-9 में दर्शाया गया है :-

**सारणी-9 : परित्यक्त राजस्व में अपना योगदान देने वाले प्रमुख जिंस समूहों का हिस्सा**

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	2012-13		2013-14 (अंतिम)	
	परित्यक्त राजस्व (करोड़)	कुल परित्यक्त राजस्व में हिस्से का प्रतिशत	परित्यक्त राजस्व (करोड़)	कुल परित्यक्त राजस्व में हिस्से का प्रतिशत
कूड ऑयल एवं खनिज तेल (27)	64780	22%	77851	26%
उपकरण (84 और 85)	30229	10%	30252	10%
हीरा और स्वर्ण (71)	61676	21%	48635	16%
खाद्य सब्जी, फल, अनाज, वनस्पति तेल (7, 8, 10, 15)	36218	12%	44122	14%
प्राथमिक धातुएं एवं उससे बनी वस्तुएं (72 से 83)	15889	5%	12889	4%
रासायनिक एवं प्लास्टिक वस्तुएं (28, 29, 39)	19515	7%	19730	6%
कपड़ा (50 से 63)	20473	7%	23177	8%
उर्वक (31)	6943	2%	4961	2%
लवण एवं अयस्क (25 से 26)	3050	1%	3527	1%
औषध (30)	1236	0%	1053	0%
<b>योग</b>	<b>260008</b>	<b>87%</b>	<b>266197</b>	<b>87%</b>

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के प्रत्येक अध्याय के परित्यक्त राजस्व आंकड़े नीचे सारणी-10 में दिये गये हैं:-

**सारणी :10 सीमाशुल्क व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख कर व्यय के अनुमान**

(करोड़ रुपये में)

अध्याय	माल का संक्षिप्त विवरण	2012-13	2013-14 (अंतिम)
1	जीवित पशु	4	4
2	मांस और खाद्य मांस ऑफल	6	8
3	मत्स्य एवं क्रस्टेसियन्स, अन्य जलीय अकेशुकीय प्राणी	49	56
4	डेयरी उत्पाद	29	41
5	पशु आदि के अन्य उत्पाद	45	52
6	जीवित पेड़ और अन्य पौधे	3	3
7	खाद्य सब्जियां, विशिष्ट मूल और कन्द	4722	4593
8	खाद्य फल और नारियल	2070	1912
9	काफी, चाय, मेट और मसाले	1577	1583
10	अनाज	56	107
11	मालिंग उद्योग के उत्पाद	33	58
12	तिलहन, अनाज, बीज फल	245	425
13	लाख, गोंद और रेजिन	258	267
14	सब्जी प्लेटिंग वस्तुएं	7	13
15	जन्तु या वनस्पति वसा	29370	37510
16	मांस या मछली से विनिर्मित पदार्थ	11	9
17	चीनी	3559	2592
18	कहवा	225	219
19	अनाज से विनिर्मित पदार्थ	25	34
20	वनस्पति से विनिर्मित पदार्थ	36	53
21	विविध खाद्य उत्पाद	634	565

अध्याय	माल का संक्षिप्त विवरण	2012-13	2013-14 (अनंतिम)
22	पेय एवं स्प्रिट	107	207
23	खाद्य उद्योगों से निकलने वाले अवशिष्ट एवं कचरे	291	305
24	तम्बाकू	107	127
25	लवण, गंधक मिट्टी एवं पत्थर	1229	1183
26	अयस्क	1822	2344
27	खनिज ईंधन एवं खनिज तेल	64780	77851
28	अकार्बनिक रसायन	4714	4246
29	जैव रसायन	10591	11666
30	औषधि उत्पाद	1236	1053
31	उरर्वक	6943	4961
32	टैनिंग एवं डायिंग निष्कर्ष, रंजक	458	560
33	आवश्यक तेल	371	454
34	साबुन एवं धुलाई के उत्पाद	148	205
35	एल्बुमिनायडल पदार्थ	139	166
36	विस्फोटक एवं माचिस	28	25
37	फोटोग्राफी सामान	67	48
38	विविध रसायनिक पदार्थ	1514	1911
39	प्लास्टिक	4210	3817
40	रबर	2309	2464
41	हाइड एवं स्किन एवं लेदर	287	364
42	चमड़े की वस्तु	42	40
43	फर स्किन	4	4
44	लकड़ी	1234	2408
45	कर्क	1	1
46	भूस के उत्पाद	0	0
47	लकड़ी की लुगदी	789	973
48	कागज	1170	1482
49	मुद्रित अखबारों एवं किताबें	458	503
50	रेशम	468	327
51	ऊन	203	204
52	सूती	927	939
53	अन्य वनस्पति फाइबर	74	138
54	मानव निर्मित सूत	3600	8915
55	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर	668	784
56	वैडिंग एवं गैर बुने हुए	65	79
57	कालीन	44	52
58	विशेष बुने हुए कपड़े	13345	10391
59	लेपित कपड़ा वस्त्रों	597	646

अध्याय	माल का संक्षिप्त विवरण	2012-13	2013-14 (अंतिम)
60	बना हुआ कपड़ा	293	321
61	बने हुए रेडीमेट कपड़े	52	91
62	बुने हुए कपड़े	93	165
63	बने बनाये सामान	43	124
64	जूता	225	250
65	सिर की टोपी	2	3
66	छाता	10	11
67	पंख/कृत्रिम फूल	4	5
68	पत्थर और प्लास्टर की वस्तुएं	242	218
69	मिट्टी के उत्पाद	204	174
70	कांच और कांच के बर्तन	243	280
71	बहुमूल्य रत्न, आभूषण	61676	48635
72	लोहा और इस्पात	9331	6303
73	लोहा और इस्पात के वस्तु	2712	2591
74	कॉपर और उससे निर्मित वस्तुएं	1277	1370
75	निकेल और उससे निर्मित वस्तुएं	133	153
76	एल्यूमीनियम एवं उससे निर्मित वस्तुएं	1365	1176
78	शीशा एवं उससे निर्मित वस्तुएं	195	196
79	जिंक और उससे निर्मित वस्तुएं	97	94
80	टिन एवं उससे निर्मित वस्तुएं	81	93
81	अन्य बेस मेटल	125	161
82	उपकरण एवं उपस्कर	385	528
83	बेस मेटल से निर्मित विविध वस्तुएं	188	225
84	मशीनरी	17712	16429
85	इलेक्ट्रिकल मशीनरी	12517	13823
86	रेलवे या ट्रामवेज लोकोमोटिव्स रोलिंग स्टॉक्स आदि	138	112
87	मोटर वाहन	2067	2078
88	एअर क्राफ्ट्स	2042	2719
89	शिप्स, बोट्स एवं फ्लॉटिंग स्ट्रक्चर्स	5219	4017
90	चश्मा/फोटोग्राफी उपकरण	3779	3987
91	क्लॉक एवं वॉच	23	16
92	संगीत वाद्ययंत्र	8	6
93	हथियार और गोला बारूद	1466	1909
94	फर्नीचर	347	412
95	खिलौने और खेल	274	345
96	विविध निर्मित वस्तुएं	1358	1399
97	कला की प्राचीन वस्तुएं	83	276
98	परियोजना आयात, सामान	5050	3857
	<b>योग</b>	<b>299066</b>	<b>306500</b>

इन आंकड़ों में वह परित्यक्त राजस्व भी शामिल है जो कि प्रतिअदायगी से पृथक अन्य विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को चलाये जाने के कारण पैदा हुए हैं। व्यक्तिगत निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के परित्यक्त राजस्व का ब्यौरा नीचे अलग-अलग दिया गया है। इन योजनाओं में से ड्यूटी फ्री इन्टाइटलमेंट क्रेडिट सर्टीफिकेट, टारगेट प्लस, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना, सर्वड फ्रॉम इण्डिया और फोकस मार्केट/प्रोडक्ट प्रोत्साहन योजनाएं हैं। छूट अधिसूचनाओं के कारण होने वाले परित्यक्त शुल्क की गणना करते समय इन योजनाओं से होने वाले परित्यक्त राजस्व पर भी विचार किया जाता है। बाकी योजनाएं या तो छूट योजनाएं हैं या आदान-कर उदासीनीकरण योजनाएं हैं जिनका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने निर्यातकों को समस्तरीय कार्य क्षेत्र उपलब्ध कराना है। चूंकि ये निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं नहीं हैं अतः इन योजनाओं के कारण होने वाले परित्यक्त राजस्व को परित्यक्त राजस्व की गणना से बाहर कर दिया गया है, जैसा कि नीचे सारणी 11 में दर्शाया गया है।

**सारणी 11 : निर्यात प्रोत्साहन रियायतों के कारण होने वाला परित्यक्त राजस्व**

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम	2012-13	2013-14 (अंतिम)
1	एडवांस लाइसेंस योजना	18971	20956
2	ईओयू/ईएचटी/एसटीपी	5881	5840
3	ईपीसीजी	11218	8990
4	डीईपीबी स्कीम	2709	434
5	एसईजेड	4491	6198
6	डीएफआरसी	21	2
7	ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट अथराइजेशन स्कीम	1735	3365
8	ड्यूटी फ्री इन्टाइटलमेंट क्रेडिट सर्टीफिकेट	142	235
9	टारगेट प्लस स्कीम	592	884
10	विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना	2382	2442
11	सर्वड फ्रॉम इण्डिया स्कीम	590	639
12	फोकस मार्केट/प्रोडक्ट स्कीम	6178	10182
13	<b>योग</b>	<b>54911</b>	<b>60168</b>
14	क्र.सं. 8 से 12 में प्रोत्साहन योजनाओं के परित्यक्त राजस्व को कम रखा गया	<b>9884</b>	<b>14382</b>
15	आदान कर उदासीनीकरण या छूट योजनाओं के कारण होने वाले परित्यक्त राजस्व को सीमाशुल्क के सकल परित्यक्त राजस्व में से घटाया जाना है।	<b>45027</b>	<b>45786</b>

राजस्व परित्यक्त के उपर्युक्त अनुमान में उस विनिर्दिष्ट राजस्व को शामिल नहीं किया गया है जो कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (2) के अंतर्गत जारी तदर्थ छूट आदेशों के कारण हुए हैं जो कि अपवादित प्रकृति की परिस्थितियों से संबंधित हैं।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के परित्यक्त राजस्व को संक्षेप में नीचे दिया गया है :

**सारणी - 12 : वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 का परित्यक्त राजस्व (प्रत्यक्ष कर)**

(करोड़ रुपये में)

	2012-13 का परित्यक्त राजस्व	2013-14 का परित्यक्त राजस्व (निरूपित)
कॉर्पोरेट आयकर	68,720.0	76,116.3
व्यक्तिगत आयकर	33535.7	40414.0
<b>योग</b>	<b>102255.7</b>	<b>116530.3</b>

## सारणी - 13 : वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 का परित्यक्त राजस्व (अप्रत्यक्ष कर)

(करोड़ रुपये में)

	2012-13 का परित्यक्त राजस्व	2013-14 का परित्यक्त राजस्व (अनंतिम)
उत्पाद शुल्क	209,940	195,679
सीमाशुल्क ड्यूटी	254,039	260,714

वर्ष 2012-13 में केन्द्रीय करों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) का सकल परित्यक्त राजस्व 5,66,234.7 करोड़ रुपये है और 2013-14 में यह प्रक्षेपित रूप से 5,72,923.3 करोड़ रुपये होता है। निष्कर्ष के रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों में ही कुल परित्यक्त राजस्व का रुझान ऊपर की ओर है।

## परिशिष्ट

उद्योग में नमूना कंपनियों के, अधिशुल्क और शिक्षा उपकर सहित प्रभावी कर दर  
(वित्त वर्ष 2012-13) (नमूना आकार - 618806)

क्रम सं.	क्षेत्र	उद्योग	कम्पनियों की संख्या	कर-पूर्व लाभ (करोड़ रुपये में)	कुल कर देयता (करोड़ रुपये)	प्रभावी कर दर (% में)
1	निर्माता उद्योग	कृषि आधारित उद्योग	19,070	15148.56	3830.80	25.29
2	निर्माता उद्योग	मोटर गाडी और मोटरगाडी के पुर्जे	4,749	37718.75	8770.15	23.25
3	निर्माता उद्योग	सीमेंट	834	14926.72	2474.77	16.58
4	निर्माता उद्योग	हीरा तराश	493	2474.78	513.57	20.75
5	निर्माता उद्योग	औषध और औषधीय	5,905	33176.95	6201.30	18.69
6	निर्माता उद्योग	कम्प्यूटर हार्डवेयर सहित इलेक्ट्रॉनिक सामान	2,766	9107.23	2579.50	28.32
7	निर्माता उद्योग	अभियांत्रिकी सामान	10,699	40126.48	11291.76	28.14
8	निर्माता उद्योग	उर्वरक, रसायन, पेंट्स	4,192	30203.31	4252.15	14.08
9	निर्माता उद्योग	आटा और चावल मिलें	1,648	1034.04	270.00	26.11
10	निर्माता उद्योग	खाद्य प्रसंस्करण ईकाइयां	3,212	8173.14	2099.29	25.69
11	निर्माता उद्योग	संगमरमर और ग्रेनाइट	2,227	646.25	173.85	26.90
12	निर्माता उद्योग	कागज	1,542	1591.37	261.95	16.46
13	निर्माता उद्योग	पेट्रोलियम एवं पेट्रोस्सायन	752	88058.07	18041.71	20.49
14	निर्माता उद्योग	विद्युत और ऊर्जा	5,081	60872.65	8321.02	13.67
15	निर्माता उद्योग	मुद्रण और प्रकाशन	2,955	4811.10	1448.11	30.10
16	निर्माता उद्योग	खर	1,023	834.86	256.28	30.70
17	निर्माता उद्योग	इस्पात	5,144	22324.01	3532.48	15.82
18	निर्माता उद्योग	शर्करा	351	1823.12	181.97	9.98
19	निर्माता उद्योग	चाय, काफी	1,147	2091.92	326.12	15.59
20	निर्माता उद्योग	वस्त्र, हथकरघा, बिजली करघा	10,483	11266.04	1947.40	17.29
21	निर्माता उद्योग	तम्बाकू	316	12320.17	3291.91	26.72

क्रम सं.	क्षेत्र	उद्योग	कम्पनियों की संख्या	कर-पूर्व लाभ (करोड़ रुपये में)	कुल कर देयता (करोड़ रुपये)	प्रभावी कर दर (% में)
22	निर्माता उद्योग	टायर	175	3345.93	644.01	19.25
23	निर्माता उद्योग	वनस्पति और खाद्य तेल	673	1641.25	280.37	17.08
24	निर्माता उद्योग	अन्य	66,438	126722.43	30935.32	24.41
25	व्यापार	शृंखला भंडार	842	608.34	159.08	26.15
26	व्यापार	खुदरा व्यापारी	15,953	5300.52	1472.78	27.79
27	व्यापार	थोक व्यापारी	24,099	7075.19	2147.06	30.35
28	व्यापार	अन्य	96,295	21299.37	5198.08	24.40
29	आढ़तिये	सामान्य आढ़तिए	4,749	967.73	286.74	29.63
30	भवन निर्माता	भवन निर्माता	21,521	8595.22	1932.74	22.49
31	भवन निर्माता	सम्पदा एजेंट	4,308	752.71	174.62	23.20
32	भवन निर्माता	सम्पत्ति विकासक	32,548	15287.05	3230.22	21.13
33	भवन निर्माता	अन्य	24,909	4983.62	802.81	16.11
34	ठेकेदार	सिविल ठेकेदार	12,024	12450.32	3009.42	24.17
35	ठेकेदार	उत्पाद शुल्क ठेकेदार	25	5.83	1.84	31.55
36	ठेकेदार	वन ठेकेदार	13	5.95	1.44	24.30
37	ठेकेदार	खनन ठेकेदार	898	14612.07	1020.09	6.98
38	ठेकेदार	अन्य	12,516	6821.31	1951.04	28.60
39	व्यावसायिक	सनदी लेखाकार, लेखा परीक्षा, आदि	106	18.17	1.84	10.15
40	व्यावसायिक	फैशन रूपांकक	126	71.49	15.75	22.02
41	व्यावसायिक	विधि व्यावसायिक	376	22.62	6.94	30.68
42	व्यावसायिक	चिकित्सा व्यावसायिक	1,651	241.13	63.44	26.31
43	व्यावसायिक	उपचर्चा-ग्रह	1,205	219.45	65.53	29.86
44	व्यावसायिक	विशेषज्ञता अस्पताल	1,262	1722.75	317.73	18.44
45	व्यावसायिक	अन्य	7,392	3490.96	395.69	11.33
46	सेवा क्षेत्र	विज्ञापन अभिकरण	3,119	1502.16	491.21	32.70
47	सेवा क्षेत्र	सौंदर्य बैठकखाना	315	26.69	8.77	32.85
48	सेवा क्षेत्र	परामर्शदात्री सेवा	19,076	7306.70	2505.81	34.29

क्रम सं.	क्षेत्र	उद्योग	कम्पनियों की संख्या	कर-पूर्व लाभ (करोड़ रुपये में)	कुल कर देयता (करोड़ रुपये)	प्रभावी कर दर (% में)
49	सेवा क्षेत्र	कूरियर एजेंसी	540	479.45	165.44	34.51
50	सेवा क्षेत्र	कम्प्यूटर प्रशिक्षण/शैक्षिक तथा कोचिंग संस्थान	3,736	1134.22	266.77	23.52
51	सेवा क्षेत्र	फोरक्स डीजर्स	802	168.18	55.24	32.85
52	सेवा क्षेत्र	सत्कार सेवाएं	4,815	1173.02	315.68	26.91
53	सेवा क्षेत्र	होटल	7,713	2259.99	576.18	25.49
54	सेवा क्षेत्र	आई.टी.समर्थित सेवाएं, बीपीओ सेवा प्रदाता	12,906	30272.06	7271.68	24.02
55	सेवा क्षेत्र	सुरक्षा अभिकरण	2,068	589.14	209.82	35.62
56	सेवा क्षेत्र	सॉफ्टवेयर विकास अभिकरण	12,125	63699.64	13922.77	21.86
57	सेवा क्षेत्र	परिवहन संचालनकर्ता	4,847	5079.75	1089.51	21.45
58	सेवा क्षेत्र	यात्रा अभिकर्ता, दौरा संचालक	4,720	949.65	301.34	31.73
59	सेवा क्षेत्र	अन्य	69,226	64935.57	13249.98	20.40
60	वित्तीय सेवा क्षेत्र	बैंक संबद्ध कंपनियां	281	126085.37	38506.19	30.54
61	वित्तीय सेवा क्षेत्र	चिट फंड	2,953	745.43	248.07	33.28
62	वित्तीय सेवा क्षेत्र	वित्तीय संस्थान	513	11927.62	3618.13	30.33
63	वित्तीय सेवा क्षेत्र	वित्तीय सेवा प्रदाता	3,141	7191.65	1674.48	23.28
64	वित्तीय सेवा क्षेत्र	पट्टाधारी कंपनियां	547	1576.51	23.71	1.50
65	वित्तीय सेवा क्षेत्र	धन साहूकार	401	58.81	14.63	24.88
66	वित्तीय सेवा क्षेत्र	गैर बैंक वित्त कंपनियां	9,290	49492.46	11767.42	23.78
67	वित्तीय सेवा क्षेत्र	शेयर दलाल, उप-दलाल आदि	4,315	4631.93	1354.26	29.24
68	वित्तीय सेवा क्षेत्र	अन्य	23,719	61678.11	9812.08	15.91
69	मनोरंजन उद्योग	केबल टी.वी. उत्पादन	456	207.01	56.08	27.09
70	मनोरंजन उद्योग	फिल्म वितरण	386	97.35	20.01	20.55
71	मनोरंजन उद्योग	फिल्म प्रयोगशाला	46	39.33	4.80	12.21
72	मनोरंजन उद्योग	चलचित्र निर्माता	672	218.95	52.04	23.77
73	मनोरंजन उद्योग	दूरदर्शन चैनल	409	3956.34	1129.35	28.55
74	मनोरंजन उद्योग	अन्य	6,699	3260.61	713.04	21.87
75	मनोरंजन उद्योग	अन्य	4,277	1425.40	316.34	22.19
<b>कुल</b>			<b>618,806</b>	<b>10,87,160</b>	<b>2,43,921</b>	<b>22.44</b>